



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र, 1942 (श०)

संख्या- 427 राँची, मंगलवार,

8 सितम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

26 जून, 2020

संख्या-5/आरोप-1-78/2015-6221 (HRMS)-- श्रीमती जया रेचल मिंज, झा0प्र0से0, (प्रथम बैच, गृह जिला-राँची), तत्कालीन अंचल अधिकारी, पाटन/पड़वा, पलामू के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5171/रा0, दिनांक 16.11.2015 के माध्यम से उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-856/स्था0, दिनांक 30.10.2015 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र- 'क' में इनके विरुद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं:-

आरोप सं0-1- कठौतिया कोल माईन्स के अन्तर्गत 82.76 एकड़ भूमि जो जंगल-झाड़ी की थी, उसे गैरमजरूआ भूमि (सरकारी भूमि) के रूप में मे0 उषा मार्टिन, प्रा0लि0 को कोयला उत्खनन के लिए आवंटित कर दी गई, जो नियम के विरुद्ध था।

आरोप सं0-2- अभिलेख में संलग्न खतियानों की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वैसी भूमि को भी गैरमजरूआ प्रतिवेदित किया गया, जो जंगल-झाड़ी थी। खतियानों की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति में TORN लिखा पाया गया है। खतियान की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति से TORN खतियान के आधार पर यह साबित नहीं किया जा सकता है कि उक्त भूमि गैरमजरूआ ही

था। खेसरा पंजी एवं चेक स्लीप के अवलोकन से पता चलता है कि जंगल-झाड़ी की भूमि को गैरमजरूआ भूमि दिखाया गया है।

आरोप सं0-3- श्री एन0के0 मिश्रा, तत्कालीन आयुक्त, पलामू प्रमण्डल के पत्रांक-10 दिनांक 29.01.2015 के द्वारा भी कठौतिया कोल माईन्स में आपके विरुद्ध बंदोबस्त भूमि की बिक्री में CNT Act धारा-49 का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है।

आरोप सं0-4- यह कि खतियानों की जाँच किए बिना जंगल-झाड़ी की भूमि को गैरमजरूआ भूमि मानकर खनन कार्य की स्वीकृति का प्रस्ताव आपके द्वारा उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया गया, जो नियमानुकूल नहीं था।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10428, दिनांक 09.12.2015 द्वारा श्रीमती मिंज से स्पष्टीकरण की माँग की गई। इसके अनुपालन में श्रीमती मिंज के पत्रांक-179, दिनांक 25.05.2017 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्रीमती मिंज के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-7028, दिनांक 13.06.2017 द्वारा उपायुक्त, पलामू से मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, पलामू के पत्रांक-566/स्था0, दिनांक 13.07.2017 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके स्पष्टीकरण को संतोषप्रद नहीं प्रतिवेदित किया गया।

श्रीमती मिंज के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, पलामू से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प विभागीय संकल्प सं0-9943, दिनांक 19.09.2017 द्वारा श्रीमती मिंज के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमती मिंज के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर संचालन पदाधिकारी श्री झा के पत्रांक-112, दिनांक 17.05.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया।

श्रीमती मिंज के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा विभागीय कार्यवाही के दौरान समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्रीमती मिंज के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के तहत इनकी दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोकने के प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-249, दिनांक 10.01.2019 द्वारा श्रीमती मिंज से द्वितीय कारण पृच्छा की गई। श्रीमती मिंज द्वारा अपने पत्र, दिनांक 03.07.2019 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा विभाग में समर्पित की गई।

श्रीमती मिंज द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्रीमती मिंज द्वारा कोई नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है एवं हल्का कर्मचारी तथा अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर संबंधित भूमि कठौतिया कोल माईंस प्रोजेक्ट हेतु हस्तान्तरण की अनुशंसा की बात स्वीकार की गई है।

अतः समीक्षोपरांत, श्रीमती जया रेचल मिंज, तत्कालीन अंचल अधिकारी, पाटन/पड़वा, पलामू द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए इनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अन्तर्गत इनकी दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MISS. JAYA RECHAL MINZ 20060400047	श्रीमती जया रेचल मिंज, झा0प्र0से0, (प्रथम बैच) तत्कालीन अंचल अधिकारी, पाटन/पड़वा, पलामू के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(vi) के अंतर्गत दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972
